

मगध प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला आयोजित, सभी जिलों के डीएम और नगर पालिका के अधिकारी हुए शामिल

रेरा को प्रभावी बनाने में अधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएं: विवेक

निबंधन के लिए दस्तावेज उपलब्ध करावें

इस मौके पर रera सदस्य नूपुर बनर्जी ने परियोजनाओं को निबंधित करने के लिए प्रमोटर्स को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बल दिया। साथ ही निगम प्रशासन से आवेदनों के जल्द निपटारे का आग्रह किया। वहीं रera के सदस्य एसडी झा ने कहा कि प्रधाकरण एक ऐसा मंच उपलब्ध करा रहा है जिसके माध्यम से घर या जमीन खरीददार अपनी शिकायतों का निवारण करा सकते हैं। जिन मामलों में प्राधिकरण के आदेश के बाद भी खरीदारों का पैसा वापस नहीं मिला है उनमें जिला प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इनकी रही उपस्थिति

रera बिहार की सदस्य नूपुर बनर्जी, एस.डी. झा, मगध प्रमंडलीय मयंक वरवड़े, गया के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम, जहानाबाद डीएम अलंकृता पांडे, औरंगाबाद डीएम श्रीकांत शास्त्री, नवादा डीएम आशुतोष कुमार वर्मा, अरवल के डीडीसी रवींद्र कुमार और गया के जिला अवर निबंधक राकेश सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा गया नगर निगम, बौधगथा, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, शेरघाटी, टेकारी, वारसलीगंज, हिसुआ और दाउदनगर नगर परिषद के अधिकारी शामिल हुए।

मगध प्रमंडल

गया, प्रधान संवाददाता। रera के अधिनियमों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में जिला प्रशासन और नगरपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने अपील की है कि अधिकारी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। शुक्रवार को गया में रera की तरफ से आयोजित कार्यशाला में विवेक कुमार ने यह बातें कहीं।

कार्यशाला में मगध के सभी जिलों के डीएम, नगर पालिका के अधिकारीगण शामिल रहे। विवेक ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां रera जिला और नगरपालिका प्रशासन को रera अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बता सके। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों को जमीन पर लागू करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने



शहर के निजी होटल में रera के प्रमंडलस्तरीय कार्यशाला में शामिल अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह व अन्य अधिकारी।

रेरा के प्रावधानों की दी गई जानकारी

रेरा की टीम ने कार्यशाला में पावर प्वांट प्रजेंटेशन के माध्यम से अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और रera बिहार के मुख्य कार्यों के बारे में जानकारी दी। खासकर उन बिंदुओं पर जानकारी दी गई जिसका पालन किए गए बगैर रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सके। जिससे आम लोगों के हितों की रक्षा हो।

उनकी भूमिका को रेखांकित कर सके। बताया कि आने वाले महीनों में राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में ऐसी

कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर मगध प्रमंडल के आयुक्त मयंक वरवड़े ने कहा कि इस आयोजन से

जिला और नगर प्रशासन को अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को समझने का बहुत अच्छा अवसर मिला है।